झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ग्रा०– 47 / 2011 ..../ राँची, दिनांक : ....

आदेश

भवनाथपुर प्रखण्ड के ग्राम हरिहरपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना सं०–26 / 1996–97 बस स्टैण्ड में यात्री शेड निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए श्री देवेन्द्र कुमार सिंह (ID- 3368) तत्कालीन सहायक अभियंता, भवनाथपुर प्रखण्ड को नियमानुसार विभागीय आदेश ज्ञापांक– 5770 दिनांक– 28.12.2008 द्वारा निम्नलिखित दण्ड दिया गया –

(i) निन्दन

(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा पुनर्विचार आवेदन दिनांक– 21.07.2017 समर्पित किया गया। इसके आलोक में उक्त योजना की जाँच मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर से करायी गयी। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक– 956 दिनांक– 07.09. 2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इसमें अंकित किया गया है कि विवादित योजना ग्राम हरिहरपुर के बस स्टैण्ड में यात्री शेड में कई दरारें पायी गयी, जो उवर्ध्वाधर हैं। यात्री शेड में एक पार्टीशन वाल भी पाया गया तथा छत का सीलिंग प्लास्टर कई जगहों पर उखड़े हुए पाये गये। ग्रामीणों से पूछताछ से पता चला कि उक्त यात्री शेड का निर्माण वर्ष 1997 में सम्पन्न कराया गया है तथा कई वर्षों बाद उक्त यात्री शेड में दरारें आना शुरू हो गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यहाँ का स्थानीय मिट्टी केवाल है तथा इस तरह के मिट्टी में दरारें पड़ना आम बात है।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर से प्राप्त प्रतिवेदन पर अभियंता प्रमुख–I का मंतव्य प्राप्त किया गया जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि जाँच प्रतिवेदन स्थल एवं स्थानीय ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुरूप है।

4. मामले की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा पुनर्विचार आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक– 5770 दिनांक– 28.12.2016 द्वारा संसूचित दण्ड को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

(i) निन्दन

(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

5. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

P.T.O

ज्ञापांक : ....राँची / दिनांक ....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ....2170..राँची / दिनांक ....24/4/19....

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग (वित्त विभाग)झारखण्ड, राँची / श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्र०सं०–03, जल भवन, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.4.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव